(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1087-तीन/2010 - विरूद्ध आदेश दिनांक 11-5-2010 - पारित द्वारा - आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल - प्रकरण कमांक 864/2008-09 अपील

1- बाबूलाल 2- रामभजन 3- रबिन्द्रनाथ
पुत्रगण प्रहलाद गुप्ता निवासीगण शहडौल
तहसील सोहागपुर जिला शहडौल ,म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- चिंतामणि 2- गोरेलाल 3- विजयकुमार
पुत्रगण रामसुन्दर उर्फ सुंदरलाल पाठक
सभी सिंहपुर रोड दीनदयाल टाल के पास
शहडौल तहसील सोहागपुर जिला शहडौल ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10 -2017 को पारित)

आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 864/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-5-2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार सोहागपुर के प्रकरण कमांक 41 अ-6/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 28-11-2000 के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । पक्षकार एंव उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से आदेश दि0

12-11-2001 से अपील प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त किया गया। आवेदकगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (3) का आवेदन दिनांक 27-1-2001 को प्रस्तुत कर प्रकरण के पुनर्स्स्थापन की तांग की, जो प्रकरण कमांक 13/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 4-12-2001 से निरस्त किया गया। आवेदकगण की ओर से इसी प्रकरण में पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु आवेदन दिनांक 11-12-2001 प्रस्तुत किया, जो अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ने आदेश दिनांक 4-3-2005 से अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण कमांक 864/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-5-2010 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों पर निष्कर्ष के लिये निम्न विचार बिन्दु तय किये गये :-

1. यदि एकपक्षीय आदेश को पुर्नस्थापित करने हेतु संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त दिया जाता है तब ऐसे आदेश के विरूद्व संहिता में क्या उपचार है ?
2. पुर्नविलोकन आवेदन निरस्त होने पर संहिता में क्या उपचार है ?

(1) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त कर दिया जाय , तक ऐसे पारित आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 35 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है -

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (4) - जहां उपधारा 3 के अधीन फाइल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है वहॉ व्यथित

पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरूद्ध अपील होती है।

तात्पर्य यह है कि अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन नियमान्तर्गत नहीं था, जिसके कारण पुनरावलोकन आवेदन अग्राह्य होने से निरस्त किया गया है।

(2) पुर्नविलोकन आवेदन निरस्त होने पर संहिता में क्या उपचार है ?

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 - यदि पुनर्विलोकन का आवेदन खारिज कर दिया जाए तब धारा 46 के खंड ख के अनुसार कोई अपील नहीं हो सकेगी, परन्तु जब पुर्नविलोकन में किसी आदेश को फेरफारित कर दिया जाए अथवा उलट दिया जाय तब संहिता की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार प्रथम तथा द्वित्तीय अपीलें उसी प्रकार हो सकेंगी जिस प्रकार किसी मूल आदेश के विरूद्ध होती हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 864/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-5-2010 के परिशीलन पर किसी प्रकार की कमीवेशी नहीं पाई गई है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 864/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-5-2010 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर